



दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 163]
No. 163]दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 1, 2001/आश्विन 9, 1923
DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2001/ASVINA 9, 1923[रा.रा.क्षेत्रि, सं. 232
[N.C.T.D. No. 232]

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय तथा मुख्य पंजीयक जन्म एवं मृत्यु कार्यालय

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2001

सं. एफ. 5 जीवनांक/आसनि/2001/11632—11656.—आदेश सं.-7 (116)/69-चि. व जन. स्वा. (1), दिनांक 11 अगस्त, 1970 को निरस्त करते हुए तथा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उप-राज्यपाल, निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मुख्य पंजीयक के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
राहुल खुल्लर, सचिव (योजना)

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS AND OFFICE OF CHIEF REGISTRAR (BIRTHS & DEATHS)

NOTIFICATION

Delhi, the 1st October, 2001

No. F 5/VS/DES/2001/11632—11656.—In supersession of Order No. F. 7 (116)/69-M & PH (1) dated 11th August, 1970 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Registration of Births & Deaths Act, 1969 (18 of 1969), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the Director, Dte. of Economics & Statistics, Govt. of NCT of Delhi as Chief Registrar for the purpose of this Act for the whole of the National Capital Territory of Delhi.

By order and in the name of the
Lt. Governor of NCT of Delhi.

RAHUL KHULLAR, Secy. (Planning)